संख्या– /XVIII(II)/2018–03(64)/2016

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक ०९ मार्च, 2018**

विषयः–देहरादून में सी0बी0एस0ई0 के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 0.7540 है0 भूमि सःशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–89/12ए–229(2014–17) डी0एल0आर0सी0,दिनांक 22 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा शासनादेश संख्या–348/XVIII(II)/2017–03(64)/2016, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 द्वारा ग्राम डांडा खुदानेवाला, परगना परवादून, तहसील सदर, जनपद, देहरादून के खाता खतौनी संख्या–199 के खसरा नं0–197 रकबा 0.600 है0 श्रेणी 5(3)(ख)2–ग्राम समाज में निहित जंगल झाड़ी भूमि को देहरादून में सी0बी0एस0ई0 के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु पट्टे पर सःशुल्क आवंटित की गयी थी, परन्तु उक्त भूमि सी0बी0एस0ई0 क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भूमि निरीक्षण समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण ग्राम मोथरोंवाला, परगना केन्द्रीयदून, तहसील सदर, जनपद, देहरादून के खतौनी खाता संख्या–1926 पर अंकित खसरा नं0–1495क मध्ये रकबा 0.7500 है0 श्रेणी 5(3)ड0–अन्य बंजर (ग्राम समाज) की भूमि आवंटन किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही पूर्व आवंटित भूमि शासनादेश संख्या–348/XVIII(II)/2017–03(64)/2016, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को निष्प्रभावी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या–348/XVIII(II)/2017–03(64)/2016, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को **निष्प्रभावी किया जाता है।**

3– शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/9–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016–18(184)/ 2015 दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम मोथरोंवाला, परगना केन्द्रीयदून, तहसील सदर, जनपद, देहरादून के खतौनी खाता संख्या–1926 पर अंकित खसरा नं0–1495क मध्ये रकबा 0.7500 है0 श्रेणी 5(3)ड0–अन्य बंजर (ग्राम समाज) की भूमि भारत सरकार के विभागों से भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों

के अधीन सी0बी0एस0ई0 के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किये जाने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को पट्टे पर सःशुल्क आवंटित किए जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(6) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(7) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(9) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(10) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(11) संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

...3

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या–342/XVIII(II)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय 99 कोलागढ़, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।